



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

**U.P. POWER CORPORATION
LIMITED**

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

संख्या:- 2463-अप्र-07 / पाकालि / 2010-11अ0प्र0-07 / 10

दिनांक: 24 दिसम्बर, 2010

कार्यालय ज्ञाप

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत तथा पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा घोषित कम्बाइन्ड सीनियारिटी के आधार पर 40 प्रतिशत प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत अधोनामित अवर अभियन्ता (ई0 एण्ड एम0) (सामान्य वर्ग) को उनके वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर, उनके नाम के सम्मुख अंकित इकाई पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी/स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (ई0 एण्ड एम0) के पद पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाता है कि वे पूर्व परिषदादेश संख्या 485-ए- आर/राविपि-01-28-एआर/89 दिनांक 27.03.1989 के सन्दर्भ में मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निश्चित रूप से भाग लेंगे। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे।

अवर अभियन्ता को सहायक अभियन्ता पद पर कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र भरने से पूर्व उनके नियंत्रक अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि:-

(क) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयन्त्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो।

(ख) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी प्रकरण न चल रहा हो।

क्र0 सं0	अवर अभियन्ता का नाम एवं पिता का नाम / गृह जनपद / जन्मतिथि / ब्रांच / वरिष्ठता क्रमांक	वर्तमान तैनाती स्थल	सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति के उपरान्त नव आवंटित इकाई	अभिज्ञान संख्या
1-	श्री शहबाज मो0 मलिक / मो0 मलिक / विद्युत / इलाहाबाद / 10.07.1951 / 6558	शक्ति भवन (मु0)।	सहायक अभियन्ता, (मुख्यालय), शक्ति भवन, लखनऊ।	2010174

- श्री शहबाज मोहम्मद मलिक के सहायक अभियन्ता (मुख्यालय) पद पर कार्यभार करने पर श्री आर0के0 श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता (बैंक आफिस) सहायक अभियन्ता (मुख्यालय) के अतिरिक्त कार्यभार से अवमुक्त हो जायेंगे।
- उपर्युक्त प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं को कारपोरेशन द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि यथा 24.01.2011 तक कार्यभार ग्रहण कार्य करना अनिवार्य है, तत्पश्चात उपरोक्त प्रोन्नति आदेश स्वतः निरस्त माने जायेंगे।

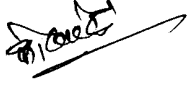
संयुक्त प्रबन्ध निदेशक

संख्या :2463(1) अ0प्र0-07 / पाकालि / 2010 / तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक / संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) / निदेशक (वितरण) / निदेशक (वित्त) उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- अपर सचिव (का0प्र0-01) / संयुक्त सचिव, (स0प्र0) उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, उ0प्र0पा0का0लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्त अधिकारियों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करें।

5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. उपसचिव, अ०प्र०-०३/०४ उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
8. अधिशाषी अभियन्ता (वेब), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. अनुभाग अधिकारी, अ०प्र०-०३/०४/गोपन अनुभाग, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. संबंधित अधिकारीगण।
11. गार्ड फाइल/कट फाइल।



आज्ञा से,


(बी० पी० एस० राठौर)
उपसचिव